आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 705/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यस बैंक लिमिटेड, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. ओ–19–ए, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती डिम्पल कच्छवाहा, प्रोपराईटर मैसर्स रिद्धि सिद्धि,
   पता :– मकान नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, लेन नं. 04, किंग्स रोड़, जयपुर।
   एवं मकान नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, लेन नं. 04, किंग्स रोड़, श्याम नगर, जयपुर।
   एवं 08–09, लाईन्स कॉलोनी, सीताबाड़ी, टोंक रोड़, सांगानेर, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, निर्माण नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड़, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 04, महामंदिर स्केटर्ड प्लॉट, जोधपुर (राजस्थान)।
2. श्री कुलदीप सिंह कच्छवाहा पुत्र श्री चन्द्रसिंह कच्छवाहा,
   पता :– मकान नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, लेन नं. 04, किंग्स रोड़, श्याम नगर, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, निर्माण नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड़, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 04, महामंदिर स्केटर्ड प्लॉट, जोधपुर (राजस्थान)।
3. श्रीमती डिम्पल कच्छवाहा पत्नी श्री कुलदीप सिंह कच्छवाहा,
   पता :– मकान नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, लेन नं. 04, किंग्स रोड़, श्याम नगर, जयपुर।
   एवं मैसर्स रिद्धि सिद्धि, मकान नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, लेन नं. 04, किंग्स रोड, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, निर्माण नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 04, महामंदिर स्केटर्ड प्लॉट, जोधपुर (राजस्थान)।
4. श्री चन्द्रसिंह कच्छवाहा पुत्र श्री हरीसिंह कच्छवाहा,
   पता :– मधुकुंज, गली नं. 2, महामंदिर रेल्वे स्टेशन के पीछे, शिव नगर, महामंदिर, जोधपुर।
   एवं प्लॉट नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, निर्माण नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड़, जयपुर।
   एवं प्लॉट नं. 04, महामंदिर स्केटर्ड प्लॉट, जोधपुर (राजस्थान)।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री अविनाश कुम्भज, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश — दिनांक 15.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु दिनांक 27.12.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कुलदीप सिंह कच्छवाहा के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, निर्माण नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 140.65 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 01,80,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,80,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,49,45,035.04/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था वन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में वन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री कुलदीप सिंह कच्छवाहा के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 196, पदमावती कॉलोनी प्रथम, निर्माण नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 140.65 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 15.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर